

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 06/2021– State Tax (Rate)

Dated: The 10 March, 2022

No. F.3(152)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/ 139 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No.11/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) against serial number 3, in column (3), in item (iv), in clause (g), after the figures and letters “12AA”, word, figures and letters “ or 12AB” shall be inserted;

(b) inserial number 17, -

(A) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right.	9	-”;

(c) against serial number 26, in column (3), -

(A) after item (ic) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“(ica) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption	9	-”;

- (B) in item (id), for the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib) and (ic)”, the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic) and (ica)” shall be substituted;
- (C) in item (iv), for the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic), (id), (ii), (ia) and (iii)”, the brackets, letters and word “(i), (ia), (ib), (ic), (ica), (id), (ii), (ia) and (iii)” shall be substituted;

(d) against serial number 27,-

- (A) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;
- (B) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
“Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; material recovery services	9	-”;

(e) against serial number 34, for items(iii) and (iiia)and the entries relating thereto in columns (3),(4) and (5),following items and entries shall be substituted,namely:-

(3)	(4)	(5)
“(iii) Services by way of admission to; (a) theme parks, water parks and any other place having joy rides, merry- go rounds, go carting, or (b) ballet, - other than any place covered by (iiia) below	9	-
(iiia) Services by way of admission to (a) casinos or race clubs or any place having casinos or race clubs or (b) sporting events like Indian Premier League.	14	-”;

(f) against serial number 38, in column (3), in Explanation, for the figures, words and letter “ 234 of Schedule I”, the figures, letter and words “ 201A of Schedule II” shall be substituted;

(ii) in the “Annexure: Scheme of Classification of Services”, after serial number 118 and the entries relating thereto,the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“118a	Group 99654		Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India
118b		996541	Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India”.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

Note: - The principal notification No. 11/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2021 - State Tax (Rate), dated the 18th November, 2021 vide number F.3(122)Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/314, dated the 18th November, 2021.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3(152)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/ 139

Dated: The 10 March, 2022

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Manoj Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
अधिसूचना संख्या 06/2021-राज्य कर (दर)

दिनांक: 10 मार्च, 2022

सं0फा0 03(152)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस- I/139 : दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं0फा0 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस- VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (iv) में, उपवाक्य (छ) में, शब्द, अंक, अक्षर और संकेत "आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "की धारा 12कक या 12कख" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 17 में,-

- 1) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- 2) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का अस्थायी या स्थायी हस्तांतरण या उसके उपयोग की अनुमति।	9	—",

(ग) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

- 1) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (ig) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(igक) मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली एल्कोहलिक शराब के विनिर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं	9	—";

- 2) मद (iघ) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (ik), (ix) और (ig)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (ik), (ix) और (ig) और (igक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

3) मद (iv) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (ik), (ix) (ig), (ig), (ii), (iik) और (iii)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (ik), (ix) (ig), (igk), (ig), (ii), (iik) और (iii)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 27 के समक्ष,—

1) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

2) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
"अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनरुत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं"	9	—";

(ङ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में मद (iii) और (iii) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

(3)	(4)	(5)
"(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं; (क) थीम पार्क, वाटर पार्क और कोई अन्य स्थान जिसमें जॉय राइड्स, मेरी-गो राउंड, गो कार्टिंग की सुविधा हो, या (ख) बैले, — अन्य स्थान जो कि नीचे (iii) में कवर नहीं किए गए हैं	9	—";
(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के रूप में सेवाएं — (क) कैसीनो या रेस क्लब या या अन्य कोई स्थान जिसमें कैसीनो या रेस क्लब की सुविधा हो या (ख) खेल समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग	14	—";

(च) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची I, क्र. सं. 234" के स्थान पर, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची II क्र. सं. 201क" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) 'अनुबंध: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना' में, क्रम संख्या 118 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: —

(1)	(2)	(3)	(4)
"118क"	समूह 99654		भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भारत में माल का बहुविध परिवहन
118ख		996541	भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल का बहुविध परिवहन "

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं0फा0 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/381, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग चार में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2021-राज्य कर (दर), दिनांक 18 नवंबर, 2021, सं0फा0 03(122)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/314, दिनांक 18 नवंबर, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)

उप सचिव- I (वित्त)

सं0फा0 03(152)/वित्त (व्यय- I)/2021-22/डीएस- I/139

दिनांक: 10 मार्च, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।

IndiaCode

मनोज कुमार

(मनोज कुमार)

उप सचिव- I (वित्त)